For ~~Speed Report~~ SPEED POST

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

सं0 यूके/10/2012/एसटीजीजेएन/डीईएलएएल/आर.यू.–3

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
6^{TH} Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003

दिनांक : 04-09-2013

सेवा में,
उपायुक्त,
जिला–रामगढ़,
(झारखण्ड)

विषयः **इनलैंड पावर लिमिटेड कंपनी, टोनागातू, थाना–गोला, जिला–रामगढ़ व झारखण्ड सरकार द्वारा छोटानागपुर टेनेन्सी कानून व संविधान के पांचवी अनुच्छेद के उल्लंघन करते हुए आदिवासियों की जमीन हड़पने के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रश्नगत मामले में चर्चा हेतु दिनांक 09/04/2013 को मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची तथा उपायुक्त, जिला–रामगढ़ को आयोग में बैठक के लिए बुलाया गया था जिस पर डा0 अमिताभ कौशल, उपायुक्त, रामगढ़ उक्त दिनांक को को आयोग में उपस्थित हुए। मामले में हुई चर्चानुसार आयोग के पत्र दिनांक 16/05/2013 द्वारा बैठक में चर्चित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्रवाई हेतु आपको लिखा गया था।

उक्त संबंध में आयोग के पत्र दिनांक 16/05/2013 के प्रत्युत्तर में आपके द्वारा उत्तर/रिपोर्ट दिनांक 28/06/2013 आयोग को भेजी गयी। अतः चर्चानुसार 11 बिन्दु पर विस्तृत जानकारी मांगी गयी थी जिसे आपने अपने पत्र दिनांक 20/07/2013 के द्वारा आयोग को भिजवाया है। तद्नुसार आयोग के माननीय अध्यक्ष, डा0 रामेश्वर उरांव ने प्रकरण पर आपके साथ व्यक्तिगत तौर दिनांक **12/09/2013 को 11:30 बजे** आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय रांची में बैठक निश्चित की है।

आपसे अनुरोध है कि मामले से संबंधित समस्त दस्तावेजों सहित उक्त अनुसूचित तिथि को आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय 14, न्यू ए.जी. को-ऑपरेटिव कालोनी,कदरू, रांची-झारखण्ड में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने का कष्ट करें।

8865-67

जारी किया
ISSUED 5/9/13

भवदीय,

(के.डी. बन्सौर)
उप निदेशक

प्रतिलिपिः

1. अनुसंधान अधिकारी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, रांची को अनुवर्ती कार्रवाई हेतु।
2. श्री उमाकांत महतो, चटर्जी कंपाउंड, शिवमंदिर गली, हजारीबाग रोड, कोकर, रांची (झारखण्ड) को सूचनार्थ।

Copy to:-
1- SSA (NIC)

O/c